(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 950–तीन/2011 – विरूद्ध आदेश दि0 10–5–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त , ग्वालियर संभाग , ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 239/ 2010–11 निगरानी

रामदास (मृतक) बल्द भूरे प्रजापति
वारिस
1– श्रीमती रामावाई पत्नि स्व.रामदास
2– हरीओम 3– महेश 4– महावीर
तीनों पुत्रगण स्व. रामदास प्रजापति
निवासी कस्वा मोहल्ला भाण्डेर
जिला दतिया, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

रामचरण पुत्र भूरे प्रजापति
निवासी बजरिया मोहल्ला भाण्डेर
जिला दतिया, मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर०डी०शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 2-1-2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 239/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10–5–11 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मृतक आवेदक ने अपने जीवनकाल में तहसीलदार भाण्डेर को आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उसके एंव अनावेदक के सामिलाती खाते की मौजा सिकन्दरपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 935, 936, 938, 940 एंव 969, 970 , 971, का बटवारा किया जावे। तहसीलदार भाण्डेर ने प्रकरण क्रमांक

11/2006-07 अ 27 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 20-3-2009 पारित करके उभय पक्ष के बीच फर्द बटवारा स्वीकार किया। तहसीलदार भाण्डेर के आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर ने प्रकरण क्रमांक 69/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-2009 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया तथा पुन: फर्द प्रकाशित कराने, उभय पक्ष को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर देकर पुन: आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर के आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर दतिया के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर दतिया ने प्रकरण क्रमांक 33/08-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-3-11 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 239/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-5-11 से निगरानी निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार भाण्डेर ने आदेश दिनांक 20-3-2009 से दोनों भाईयों को हिस्सा 1/2 पर रकबा 0.178 हैक्टर बराबर विभाजित किया है जब रकबे में असमानता नहीं है तब ऐसे विभाजन को निरस्त नहीं किया जा सकता। अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में उठाये गये बिन्दु सही है परन्तु उन पर विचार न करने में भूल हुई है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार भाण्डेर के आदेश दिनांक 20-3-2009 को यथावत् रखा जावे।

अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार ने संपूर्ण रकबा विभाजित नहीं किया है एंव फर्दो का प्रकाशन नहीं कराया गया। फर्दो पर आपत्ति

प्रस्तुत करने हेतु समय नहीं दिया गया, जिसके कारण तहसीलदार का आदेश दोषपूर्ण पाते हुये अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी, भाण्डेर के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है । उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर दतिया ने आदेश दिनांक 3-3-11 के अंतिम पद में अंकित किया है कि तहसीलदार भाण्डेर के समक्ष प्रस्तुत फर्द बटवारा प्रदर्स पी-2 त्रृटिपूर्ण होने कुल किता 4 कुल रकबा 0.356 है. का बटवारा न करते हुये मात्र 0.178 है. का बटवारा किया गया है शेष रकबे के संबंध में कोई विवरण अंकित न करने से अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर व्दारा प्रकरण क्रमांक 69/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-2009 में विधिक त्रृटि होने से गुणदोष पर विचार करने के उपरांत आदेश पारित किया गया है इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर का आदेश दिनाक 22-5-09 स्थिर रखा जाता है। अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर व्दारा आदेश दिनांक 22-5-09 में निकाले गये निष्कर्षो को अपर कलेक्टर दतिया ने एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने उचित ठहराया है एंव तीनों न्यायालयों व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 239/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-5-11 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर